आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अग्रिम कर- किश्तों/करों का भुगतान

(1) अग्रिम कर :

अग्रिम कर का अर्थ है कि आपको अपना आयकर वर्ष के अंत में एक बार में चुकाने के बजाय पूरे साल किश्तों में चुकाना है। इसे 'Pay as you earn tax' ('कमाने के साथ–साथ कर भुगतान') के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आप आय प्राप्त होने पर ही भुगतान करते हैं। कर कानून निर्दिष्ट करते हैं कि ये किश्तें कब देय हैं।

(2) अग्रिम कर भुगतान :

- प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी किसी भी वित्तीय वर्ष में रूपए 10,000 से अधिक की शुद्ध आयकर देयता है, तो उसे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। शुद्ध कर देयता वित्तीय वर्ष में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करने के बाद अनुमानित कर राशि है। यदि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर विचार करने के बाद आपकी कुल कर देयता रूपए 10,000 से अधिक है, तो आपके द्वारा अग्रिम कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

आयकर अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित 'व्यक्ति' में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक व्यक्ति,

(ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ),

(iii) एक कंपनी,

(iv) एक फर्म,

(v) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,

(vi) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति,

(vii) एक स्थानीय प्राधिकरण।

(3) अग्रिम कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाना है :

किसी भी वित्तीय वर्ष में रूपए 10,000 से अधिक की शुद्ध आयकर देयता वाले व्यक्तियों को अग्रिम कर भुगतान करना अनिवार्य है। शुद्ध कर देयता वह है, जो वित्तीय वर्ष में अनुमानित कर राशि में से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को घटाकर प्राप्त की गई राशि होती है।

- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, दंड के रूप में लगाए जाने वाले ब्याज से बचने के लिए व्यक्तियों को चार अलग–अलग त्रैमासिक भुगतान करने होंगे।

- आयकर अधिनियम की धारा 211 के अनुसार ये भुगतान वित्तीय वर्ष के 15 जून से 15 मार्च के बीच किए जाने हैं।

• (4) अग्रिम कर भुगतान की देय तिथियाँ क्या हैं ?

निम्नलिखित सारणी में बताया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम कर का भुगतान कब करना होता है तथा अग्रिम कर भुगतान की राशि क्या होती है।

देय तिथि	अग्रिम कर भुगतान की किश्तों की मात्रा
15 जून या उससे पहले	शुद्ध अनुमानित कर देयता का 15%
15 सितम्बर या उससे पहले	शुद्ध अनुमानित कर देयता के 45% में से पहले से भुगतान किए गए अग्रिम कर को घटाने के बाद प्राप्त राशि
15 दिसंबर या उससे पहले	शुद्ध अनुमानित कर देयता के 75% में से पहले से भुगतान किए गए अग्रिम कर को घटाने के बाद प्राप्त राशि
15 मार्च या उससे पहले	शुद्ध अनुमानित कर देयता के 100% में से पहले से भुगतान किए गए अग्रिम कर को घटाने के बाद प्राप्त राशि

- उदाहरण के लिए, चालू वित्त वर्ष 2024–25 (निर्धारण वर्ष 2025–26) के लिए, किसी व्यक्ति को अग्रिम कर की पहली किस्त 15 जून तक, दूसरी किस्त 15 सितंबर तक, तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक और अंतिम किस्त 15 मार्च तक चुकानी होगी।

- **(5)** यद्यपि, एक वित्तीय वर्ष में रूपए 10,000 से अधिक की शुद्ध आय कर देयता वाले सभी व्यक्तियों को उपर्युक्त चार किस्तों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आयकर कानून कुछ छूट की अनुमति देता है।

- **(5) (क)** जो लोग प्रकल्पित कराधान योजना का विकल्प चुनते हैं, क्या उन्हें 15 मार्च तक एक किस्त में अग्रिम कर का भुगतान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति) को अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उनके पास व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है।

• (6) अग्रिम कर भुगतान न करने पर क्या जुर्माना है ?

- **(6) (क)** धारा 234बी और 234सी के तहत अग्रिम कर का भुगतान न करने पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाता है। प्रत्येक धारा के अंतर्गत 1% प्रति माह या उसके हिस्से का दंडात्मक ब्याज लगाया जाता है।

- **(6) (ख)** धारा 234बी तब लागू होती है, जब अग्रिम कर भुगतान न किया गया हो या अंतिम कर देयता के 90% से कम अग्रिम कर भुगतान किया गया हो। धारा 234सी प्रत्येक अग्रिम कर की किस्त की राशि का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने पर लागू होती है।

(7) अग्रिम कर भुगतान कैसे करें?

- **(7) (क)** आयकर विभाग के ई–फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके अग्रिम कर का भुगतान किया जा सकता है। भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है।
- **(7) (ख)** अगर कोई ऑफ़लाइन बैंक चालान विधि चुनता है, तो उसे पहले ई–फाइलिंग आईटीआर पोर्टल से चालान डाउनलोड करना होगा। ऑनलाइन कर भुगतान के लिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं।
- **(7) (ग)** ई–फाइलिंग पोर्टल पर ई–पे टैक्स पर जाएं, संबंधित मूल्यांकन वर्ष का चयन करें, और फिर भुगतान करने के लिए लघु शीर्ष के अंतर्गत अग्रिम कर (100) चुनें।

(8) सरकार द्वारा करदाता को देय ब्याजः

केन्द्रीय सरकार उस राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम करों की कुल राशि, उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारित कर की राशि से अधिक हो।

(9) अग्रिम कर भुगतान की स्थिति का पता कैसे करें?

अपने अग्रिम कर भुगतान चालान की स्थिति का पता करने के लिए कृपया **https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html** पर जाएं। CIN (चालान पहचान संख्या) आधारित दृश्य चुनें। फिर स्थिति देखने के लिए, मांगे जा रहे आवश्यक विवरण दर्ज करें। आप अग्रिम कर भुगतानों की सूची को **https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home** पर मेरे खाते पर जाकर फॉर्म 26ए.एस. (कर जमा) देखें तथा वित्तीय वर्ष दर्ज करें और देखें / डाउनलोड करें का विकल्प चुनें।

(10) अग्रिम कर भुगतान के लिए चेक कैसे भरें ?

करदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अग्रिम कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन भुगतान के लिए चालान **https://www.incometaxindia.gov.in/Forms/107010000000345598.pdf** से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड हो जाने के बाद, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध विवरण भरना चाहिए–

- प्रत्येक प्रकार के भुगतान के लिए अलग चालान का उपयोग किया जाना चाहिए।
- स्थायी खाता संख्या (पैन) बताना अनिवार्य है। गलत पैन बताने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के अनुसार रूपए 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- करदाताओं को आयकर के भुगतान के लिए निम्नानुसार चेक / मांग पत्र जारी करना चाहिए –

  भुगतान करें ——————————————————

  (बैंक का नाम जहां चालान जमा किया जा रहा है) खाता आयकर।
- करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक की पावती में (1) बैंक शाखा का बीएसआर कोड, (2) चालान जमा करने की तारीख और (3) चालान क्रमांक शामिल हो, क्योंकि इन विवरणों को आयकर विवरणी में उद्धृत करना होगा।

(11) अग्रिम आयकर चालान कैसे डाउनलोड करें?

अग्रिम कर भुगतान का चालान देखने के लिए कृपया **https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html** पर जाएं। CIN (चालान पहचान संख्या) आधारित दृश्य चुनें। आवश्यक विवरण दर्ज करें, और 'देखें' पर क्लिक करें। चालान विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बाद, आप या तो उसे प्रिंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख सकते हैं। करदाता उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर अग्रिम कर भुगतान रसीद / चालान भी डाउनलोड कर

सकते हैं जिसके माध्यम से अग्रिम कर भुगतान किया गया था। अग्रिम भुगतान रसीद डाउनलोड करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा।

मार्च, 2025

आयकर विभाग

आयकर निदेशालय

(जन संपर्क, प्रकाशन व प्रचार)
छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली –110001

@incometaxindiaofficial @incometaxindia.official @Income Tax India
@IncomeTaxIndia @Income Tax India Official

स्पष्टीकरण: इस विवरणिका को विधिक दस्तावेज न समझा जाए।
अधिक जानकारी के लिए अधिनियम और नियम में संबंधित प्रावधानों से संदर्भ लिया जाए।

www.incometax.gov.in